FAX/Mail

पत्र संख्याः—15 / सी 3—26 / 2015 — 757
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 10/4/2015

विषयः— प्रो० श्री नीरज कुमार, स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 179 वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ई०—148 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रो०नीरज कुमार, स0वि0प0 द्वारा पूछे गये प्रश्न की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त प्रश्न में वर्णित तथ्यों के आलोक में कंडिकावार उत्तर सामग्री यथा वांछित पूरक सामग्री के साथ फैक्स / विशेष दूत के माध्यम से 24 घंटे के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

10.4.15
विशेष कार्य पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा

(1)

बिहार विधान परिषद् के 179 वें सत्र के लिए श्री नीरज कुमार, स०वि०प० से तारांकित प्रश्न प्राप्त ।

ई0-148 क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों यथा वीर कुँवर सिंह, वि0वि0 द्वारा व्याख्याता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, मगध वि0वि0 द्वारा विज्ञापन संख्या-01/09 के माध्यम से अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट एवं पटना वि0वि0 द्वारा विज्ञापन संख्या 01/09 के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु 600 एवं 500 रुप का बैंक ड्राफ्ट लिया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि इन विश्वविद्यालयों के द्वारा आज तक नियुक्ति नहीं की गई है ए एवं इन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क नहीं लौटाया गया है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंड "क" एवं "ख" का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क लौटाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक ?